



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की पच्चीसवीं रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SMT. NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 25TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2020-21), 17TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.

अगस्त, August, 2021

विषय- सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या	SI No. Contents Page No.
1.	श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i	1. Statement by Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance i
2.	अनुबंध - दिनांक 16 मार्च, 2021 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति) की 2021-22 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की पच्चीसवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट।	1-46	2. Annexure – Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 25th Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2021-22 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 16th March, 2021. 53-79
3.	अनुलग्नक	47-52	3. Appendix 80-85

श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 73-क के तहत माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के निदेश के अनुसरण में अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 25वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.08.2021 को दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 25वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानती हूँ।

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 25वीं रिपोर्ट 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और तेरह (13) सिफारिशें की हैं जो मुख्यतः यथार्तवादी बजटीय अनुमानों, स्वीकृत निधियों के इष्टतम उपयोग, एमएसएमई को राहत, ब्याज का भुगतान, सरकार के उधार, राजकोषीय गतिशीलता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और आस्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना, विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई), सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग और बीमा क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है। समिति द्वारा 25वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगी और मैं यह अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए

STATEMENT BY SMT NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA ON 02.08.2021 REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 25th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (17TH LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2021-22) IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE HON'BLE SPEAKER, LOK SABHA VIDE LOK SABHA BULLETIN, PART II DATED 1ST SEPTEMBER, 2004, UNDER RULE 73-A OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE LOK SABHA

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the **25th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha)** relating to Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management in pursuance of the Direction of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The 25th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2021-22) of Ministry of Finance was presented on 16th March, 2021 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made by the Committee pertaining to preparation of realistic budgetary estimates, optimal utilization of funds sanctioned, relief to MSMEs, Interest Payment, Government Borrowings, Fiscal Dynamics, Disinvestment of PSEs, setting up of Asset Reconstruction Company Limited and Asset Management Company, Development Financial Institution (DFI), Sovereign Credit Rating and FDI in Insurance Sector.

Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in its 25th Report is indicated in the **Annexure**.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

वित्त मंत्रालय के संबंध में 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी वित्त संबंधी स्थायी समिति की पच्चीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्यवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1.	1.	समिति नोट करती है कि आर्थिक कार्य विभाग के लिए समग्र बजट परिव्यय 99549.53 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान जो कि 51658.96 करोड़ रुपए था से 47890.57 करोड़ रुपए अधिक है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए	माननीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बजट परिव्यय आमतौर पर इस प्रत्याशा से बनाए जाते हैं कि स्कीमों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा। स्कीम का द्रुत कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसेकि, विस्तृत स्कीम कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों को बनाना, कार्यान्वयनकारी अभिकरणों का चयन, निधियों की निर्मुक्ति से पूर्व विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन इत्यादि। कुछेक मामलों में, प्रत्याशित परिणामों की तुलना में सुस्त प्रतिक्रियाओं के परिणामवश स्कीमों की धीमी शुरुआत हो पाती है। एनआईएफ के संबंध में, एनआईएफ के सृजन और सामाजिक क्षेत्र की चुनिंदा स्कीमों को वित्तपोषित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के संवर्धन के लिए इस प्रकार सृजित आय के 75 प्रतिशत का उपयोग और शेष 25 प्रतिशत का उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले और पुनरुज्जीवित हो सकने योग्य उद्यमों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी 27.01.2005 को	स्वीकृत	समिति की सिफारिशें 27.01.2005 को लिए गए मंत्रिमंडल के निर्णय पर आधारित है तथा

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)												
1	2	3	4	5	6												
		<p>संशोधित अनुमान 38645.88 करोड़ रुपए ही रहा। डीईए ने सं.अ. के चरण पर 13013.08 करोड़ रुपए की निधि की कम आवश्यकता का कारण अवसंरचना विकास-अर्थक्षम में कमी के वित्तपोषण के लिए सहायता, स्वर्ण मुद्राकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किए गए स्वर्ण के कुल मूल्य के अनुमान का संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय</p>	<p>लिए गए मंत्रिमंडल के निर्णय पर 2013 में मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है।</p> <p>विनिवेश से प्राप्त धनराशि का आबंटन स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अवसंरचना के अन्य सेक्टरों जैसे कि रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए किया जा रहा है। अवसंरचना सेक्टर में निवेश करने से न सिर्फ पूंजीगत आस्तियों का सृजन सुसाध्य होता है अपितु रोजगार सृजन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।</p> <p>एनआईएफ में से 2019-20 से किए गए आबंटन का विवरण निम्नवत है:</p> <p style="text-align: right;">(रुपये करोड़ में)</p> <table><tr><th rowspan="2">एनआईएफ में से आबंटन/ उपयोग</th><th colspan="2">वास्तविक राशि (अनंतिम) 2019-20</th><th rowspan="2">सं.अ. 2020-21 आबंटन</th><th rowspan="2">ब.अ. 2021-22 आबंटन</th></tr><tr><th>विनिवेश प्राप्ति</th><th>उपयोग</th></tr><tr><td>कुल</td><td>50304.33</td><td>67969.38</td><td>32000</td><td>100000</td></tr></table>	एनआईएफ में से आबंटन/ उपयोग	वास्तविक राशि (अनंतिम) 2019-20		सं.अ. 2020-21 आबंटन	ब.अ. 2021-22 आबंटन	विनिवेश प्राप्ति	उपयोग	कुल	50304.33	67969.38	32000	100000	<p>एनआईएफ में से आबंटन संशोधित मंत्रिमंडल निर्णय के आधार पर किए जा रहे हैं।</p>	
एनआईएफ में से आबंटन/ उपयोग	वास्तविक राशि (अनंतिम) 2019-20		सं.अ. 2020-21 आबंटन		ब.अ. 2021-22 आबंटन												
	विनिवेश प्राप्ति	उपयोग															
कुल	50304.33	67969.38	32000	100000													

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		मुद्रा कोष के लिए अभिदाय हेतु निधि की आवश्यकता न होना, राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के लिए अंतर-लेखा-अंतरण में 11000 करोड़ रुपए की कमी आदि बताया। यह भी बताया कि अधिकांश बचत के कारण मोटे तौर पर कोविड-19 के कारण बजट पश्चात् योजनाओं/ स्थितियों पर निर्णय/ अंतिम रूप दिया जाना, विनिमय दर में परिवर्तन आदि थी			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जिनकी कल्पना बजट अनुमान तैयार करते समय नहीं की जा सकी। समिति ने वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के सम्मुख आई चुनौतियों और उसे पटरी पर लाने के लिए किए गए उपायों की सराहना करती है परंतु उसका मत है कि बजट अनुमान तैयार करते समय और अधिक ध्यान और वस्तुनिष्ठता से काम किया जाता तो 'योजनाओं को			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>अंतिम रूप न दिया जाना" जैसे कुछ कारकों से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर अचानक पड़ने वाले झटके को कम करने और उसके लिए बेहतर ढंग से तैयार रहने के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न अनिवार्यताओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त मॉडलिंग की जानी चाहिए। समिति यह इंगित करना चाहेगी कि पिछले वर्षों में राष्ट्रीय</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		निवेश निधि से आहरण द्वारा कमी काफी सीमित रही। इस संबंध में समिति चाहेगी कि सरकार अधिदेश के अनुसार कायिक निधि का लाभप्रद उपयोग करे अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए निधि से होने वाली वार्षिक आय का 75% उपयोग करे। वार्षिक आय का शेष			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		25% लाभ में चल रही और दुबारा शुरू की जाने योग्य (सार्वजनिक क्षेत्र की) यूनिटों की पूंजीगत आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाए।			
2	2	वर्ष 2021-22 के लिए 99549.53 के आबंटन के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि वृद्धि का मुख्य कारण 'अवसंरचना पाइपलाइन के लिए सहायता' शीर्ष के अंतर्गत 44714.64 करोड़ रुपए का	यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अवसंरचना पाइपलाइन (₹44714.64 करोड़) हेतु सहायता के लिए बड़ा बजट प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत किया गया है जिसका उपयोग उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के लिए किया जाएगा जो पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगति दिखाते हैं। दूसरे, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत एक अन्य बड़ा बजट प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि (₹29500.00 करोड़) के विनियोग के लिए भी किया गया है। 2. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) (₹4500.00 करोड़) तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) के संबंध में ब.अ. (2021-22) का वृद्धित प्रावधान, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना	स्वीकृत	-----

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>प्रावधान किया जाना था जो उन परियोजनाओं/ कार्यक्रमों और विभागों के लिए थी जो पूंजी व्यय में अच्छी प्रगति दर्शा रहे हैं और उन्हें अधिक निधि की आवश्यकता है और सीएफआई की कायिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किए जाने के लिए 'भारत की आकास्मिक निधि में विनियोग' के लिए अंतर-लेखा-</p>	<p>निधि (एनआईआईएफ) तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत निधियों अर्थात क्रमशः 99.99 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के इष्टतम उपयोग के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ, कुछ बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए प्रावधान किया जाता है जहां विनिमय दर में उतार-चढ़ावों को भी ध्यान में रखा जाता है।</p> <p>3. विभाग का सदैव यह प्रयास रहता है कि यथार्थवादी बजट प्रावधान तैयार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बजट प्रावधानों का इष्टतम उपयोग हो। बजट-पश्चात निर्णयों, परियोजनाओं/स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि की वजह से प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ है। माननीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे कि आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधानों को यथार्थवादी अनुमानों के आधार पर बनाया जाए।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>अंतरण हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अन्य वर्धित मांगे निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता हेतु संदाय को पूरा करने के लिए, एनआईआईएफ के लिए 4500 करोड़ रुपए की वृद्धि, उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) के अधीन आईएमएफ को के ऋण आदि के लिए थी। समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि आर्थिक कार्य</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		विभाग को एक आदर्श की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और वास्तविकतापूर्ण अनुमान तैयार करने और स्वीकृत निधि के अनुकूलतम उपयोग करने में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। विभाग पर अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता के मार्ग पर बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		अत्यधिक आवश्यकता की भारी जिम्मेदारी भी है इसलिए इसे निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।			
3	3	समिति पाती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग का वर्ष 2020-21 का संशोधित अनुमान 29075.02 करोड़ रुपए के आरंभिक बजट आवंटन की तुलना में 22755.56 करोड़ रुपए बढ़कर 51830.58 करोड़ रुपए हो गया।	i. आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत मई 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों, व्यवसायिक उद्यमों और लोगों को व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार उनके बकाया ऋण के 20% तक, जो अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक हो सकता है, संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है बशर्ते कि उक्त ऋण दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार 60 दिनों अथवा उससे कम दिनों से बकाया हो। इस अतिरिक्त ऋण को ऋण गारंटी के द्वारा पूर्णतः कवर किया जाता है, जो राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाती	जी हां।	मंत्रिमंडल ने ईसीएलजीएस के अंतर्गत 1.50 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का अनुमोदन कर दिया है, जिससे ईसीएलजीएस के अंतर्गत कुल वित्तपोषण बढ़कर 4.5 लाख करोड़

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		समिति को इस वृद्धि के कारणों से अवगत कराया गया, जिनमें से कुछ कारणों में बैंकों का पूंजीकरण इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के माध्यम से एमएसएमई को सहायता आंशिक ऋण गारंटी स्कीम के माध्यम से एनबीएफसी को तरलता प्रदान करना, ऋण लेने वालों के ऋण स्थगन पर ब्याज में राहत प्रदान करना,	<p>है। ईसीएलजीएस के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 12 माह का अधिस्थगन प्रदान किया गया है। इस योजना का विस्तार कामथ समिति और हेल्थकेयर सेक्टर द्वारा अभिचिह्नित 20 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस के माध्यम से किया गया था। दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार 50 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ रुपये से कम बकाया ऋण वाली ऋण की इकाइयों को ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत पात्र बनाया गया बशर्ते कि दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते में राशि 60 दिनों अथवा इससे कम दिनों से बकाया हो।</p> <p>ii. सरकार ने आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यवसायिक उद्यमों, जिनकी कुल बकाया राशि दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो और जो दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार 60 दिनों अथवा इससे कम दिनों से बकाया हो, को कवर करने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 आरंभ करके दिनांक 31.3.2021 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के दायरे को बढ़ाया है। ईसीएलजीएस 3.0 में इन क्षेत्रों के उद्यमों के लिए दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार सभी ऋणदात्री संस्थाओं के कुल बकाया ऋण के 40% तक ऋण दिए जाने को शामिल किया जाएगा। ईसीएलजीएस के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों की अवधि की 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 6 वर्ष होगी।</p>		<p>रुपए हो गया। राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 25.6.2021 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 2.72 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।</p>

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए पूंजी की व्यवस्था आदि थीं। समिति का मत था कि वर्ष 2020-21 के लिए 51830.58 करोड़ के वर्धित संशोधित अनुमान और 51510.81 करोड़ रुपए का बजट अनुमान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इसे भावी उतार-चढ़ाव के प्रति और अधिक लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त	<p>iii. इसके अतिरिक्त, कतिपय सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के आलोक में इस योजना में कुछ अन्य संशोधन किए गए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणदाताओं को अनुमत ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत ऋणों के लिए 1 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि में वृद्धि, जहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मानदण्डों के अनुसार पुनर्गठन स्वीकार्य है, आरबीआई की एकमुश्त पुनर्गठन सुविधा प्राप्त करने वाले ईसीएलजीएस 1.0 उधारकर्ताओं को अतिरिक्त 10% का ऋण, ईसीएलजीएस 3.0 में विमानन क्षेत्र का समावेशन और प्रत्येक मामले में 200 करोड़ के कैप वाले अधिकतम गारंटी के अध्यक्षीन ईसीएलजीएस 3.0 के लिए बकाया ऋण के 500 करोड़ रुपए के कैप को हटाया जाना शामिल है तथा नए आक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ईसीएलजीएस के तहत 100% गारंटी की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ईसीएलजीएस, अर्थात् ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0 की वैधता को दिनांक 30.9.2021 तक अथवा 3 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए गारंटी तक जारी किया गया है। इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाया गया है।</p> <p>iv. राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 11.6.2021 की स्थिति के अनुसार, 2.68 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि को योजना के तहत मंजूरी दी गई है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		एमएसएमई के महत्वपूर्ण क्षेत्र को निरंतर सहायता के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने से, आने वाले समय में रोजगार और आय के सृजन दोनों के द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है। अतः समिति का मत है कि ईसीएलजीएस को और अधिक निधि उपलब्ध कराया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम होगा क्योंकि	v. ईसीएलजीएस के लिए 41,600 करोड़ रुपए के कार्पस को चार हिस्सों में दिए जाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 4000 करोड़ रुपए की राशि जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिया गया था, जारी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि एमएसएमई मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग व्यवस्थापक बना रहेगा।		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		ईसीएलजीएस ने इस वैश्विक महामारी के कठिन दौर के दौरान एमएसएमई की सहायता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण की सहज पहुँच और उसे शोध्य राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।			
4.	4	समिति यह नोट करती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं हैं जिनमें पिछले वर्ष	(i) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, पीएमजेडीवाई खाताधारकों में से पात्र लाभार्थी ऋण के रूप में 10000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के पात्र हैं। शिशु मुद्रा ऋण के तहत 10000 रुपये की यह	जी हां।	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		और उससे पहले भी बचत हुई थी इसके बावजूद वर्तमान वर्ष के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि यद्यपि वह रकम छोटी थी, फिर भी वित्तीय सेवाएं विभाग को चाहिए कि वह इन योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को बजट की राशि की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित करे जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	<p>राशि ओडी की अर्हक होती है और सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत गारंटी कवरेज के लिए पात्र होती है।</p> <p>(ii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): मुद्रा लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उन्होंने 'हर काम देश के नाम' टैगलाइन से मार्च 2020 से प्रचार अभियान की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था और साथ ही पीएमएमवाई के 5 वर्ष पूरा होने पर पीएमएमवाई वर्षगांठ समारोह के बारे में प्रचार करने की योजना बनाई थी इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने सहायता अनुदान के रूप में मुद्रा लि. को 10 करोड़ रुपए (23 अक्टूबर, 2019, 3 मार्च, 2020 और 30 मार्च, 2020 को क्रमशः 3.30 करोड़ रुपए, 2.50 करोड़ रुपए और 4.20 करोड़ रुपए) की राशि जारी की है।</p> <p>तथापि, समस्त देश में कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण यह अभियान शुरू नहीं हो सका तथा 10 करोड़ रुपए की राशि मुद्रा लि. के पास अप्रयुक्त है। मुद्रा लि. द्वारा इसमें से 3.83 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग क्रिएटिव एजेंसी द्वारा 13 भाषाओं में 10 उधारकर्ताओं के संक्षिप्त विडियो बनाने के लिए मार्च 2021 में किया गया है। तब से 6.17 करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त निधि के रूप में मुद्रा लि. के पास उपलब्ध था और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपए की आबंटित की गई बजट राशि को लौटा दिया (सरेंडर) गया था। मुद्रा</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		(पीएमएमवाई) जो पात्र माइक्रो यूनिटों को 10 लाख तक का ऋण देती है, स्वसहायता समूह (एसएचजी) को समर्थित मुक्त ऋण देती है; प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत ओवर ड्राफ्ट ऋण देती है; स्टेण्ड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित	<p>लि. को समय-समय पर योजना के लिए प्रचार और जागरूकता अभियान को संचालित करने के लिए इन निधियों के प्रयोग करने के लिए भी सुझाव दिया जा रहा है/अनुरोध किया जा रहा है।</p> <p>(iii) स्टेण्ड-अप इंडिया (एसयूपीआई) - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए 5.00 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान को सिडबी (वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए 5.00 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन में से) के पास खर्च न किए गए पर्याप्त निधियों के कारण मार्च 2021 के महीने में वापस कर दिया गया था। सिडबी ने सूचित किया है कि दिनांक 25.5.2021 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहायता अनुदान की 5.00 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। अब, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सिडबी को किए गए बजटीय आबंटन में से 5.00 करोड़ रुपए को जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।</p> <p>(iv) सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) कार्पस</p> <ul style="list-style-type: none"> केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को जनवरी 2016 में बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई)/अन्य वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा 10 लाख रुपए तक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को विस्तारित ऋण गारंटी प्रदान करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, आदि का न केवल वित्तीय समावेशन तथा संधारणीय विचारों की दृष्टि से अपितु समाज के सशक्तीकरण, उत्थान और बेहतरी के लिए भी अत्यधिक महत्व है।	<p>अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए 5000 रुपए (सितम्बर 2018 में बढ़ाकर 10,000 किए गए) की राशि के ओवरड्राफ्ट को गारंटी देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के आरंभिक कार्पस के साथ स्थापित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> सीजीएफएमयू को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) द्वारा संचालित किया जाता है जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। श्री यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर आरबीआई द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों और 26 मार्च, 2020 को माननीय वित्त मंत्री (एफएम) के 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के एसएचजी को संपार्थिकमुक्त उधार में वृद्धि के संबंध में घोषणा के आधार पर सीजीएफएमयू की प्रबंधन समिति ने अपने द्वारा प्रदान किए गए गारंटी कवरेज में कतिपय बदलाव किए। इन परिवर्तनों के आलोक में एनसीजीटीसी निधियों के कार्पस बैलेंस के बारे में अनुमान लगाए हैं और सीजीएफएमयू के कार्पस में वृद्धि की मांग की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्थिकमुक्त ऋण में वृद्धि के संबंध में यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशों और 26 मार्च, 2020 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में सीजीएफएमयू में तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं: 		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> पीएमएमवाई ऋण और पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट के लिए: <ul style="list-style-type: none"> प्रथम हानि में कमी का वहन एमएलआई द्वारा क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो के 5% से चूक राशि के 3% तक, से किया जाएगा। दूसरी हानि गारंटी कवर को चूक राशि के 50% से बढ़ाकर पोर्टफोलियो का 75% करना। गारंटी राशि पर संपूर्ण ऊपरी सीमा को क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो के 15% रखना। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच स्वीकृत ऋण और इसके पश्चात सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। तथापि, पहली हानि की गारंटी शून्य होगी और दूसरी हानि के 75% की गारंटी होगी। आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म इकाइयों के लिए गारंटी शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के पोर्टफोलियो पर प्राप्त किए गए गारंटियों के लिए 0.5% प्रति वर्ष (प्रथम वर्ष के लिए यथानुपात पर) का निम्न शुल्क प्रभारित किया जाएगा। इसकी समीक्षा दो वर्षों के अंत में की जाएगी। <p>उपर्युक्त संशोधनों (दिनांक 1.4.2020 के बाद स्वीकृत किए गए ऋणों के लिए प्रयोज्य है) के फलस्वरूप निधि कार्पस से दावा निर्गम में वृद्धि होगी।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> सीजीएफएमयू के कार्पस के लिए निधियों का प्रावधान करने से यह पीएमएवाई के पात्र संपार्श्विक मुक्त सूक्ष्म ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी, पीएमजेडीवाई के खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट तथा एसएचजी को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकेगा। यह बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआई को अल्पसेवित तथा असेवित क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त ऋण की पहुँच तथा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, यह आशा है कि पीएमएवाई के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त सूक्ष्म ऋण, पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट तथा एसएचजी को 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत होगा, जिसमें समय के साथ वृद्धि होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि <ol style="list-style-type: none"> वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 18-19 तक के पोर्टफोलियो की एनपीए स्थिति को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, सीजीएफएमयू में किए गए संशोधनों से अधिकाधिक एमएलआई द्वारा सीजीएफएमयू का लाभ उठाने की उम्मीद है, और बेहतर क्रेडिट गारंटी कवर और आरबीआई और सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के कारण पीएमएवाई के तहत उधार देने में अपेक्षित सुधार, 		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)														
1	2	3	4	5	6														
			<p>भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, एनसीजीटीसी को सीजीएफएमयू के लिए 3000 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि किस्तों में जारी की गई है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:</p> <table><tr><th>अवधि</th><th>संवितरित निधि (करोड़ रुपये में)</th></tr><tr><td>मार्च, 2016</td><td>500</td></tr><tr><td>अगस्त, 2016</td><td>1,500</td></tr><tr><td>जुलाई, 2017</td><td>500</td></tr><tr><td>जुलाई, 2018</td><td>300</td></tr><tr><td>अगस्त, 2018</td><td>200</td></tr><tr><td>कुल</td><td>3,000</td></tr></table> <p>वर्ष 2024 तक सीजीएफएमयू के कोष को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए ईएफसी बैठक आयोजित करने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के जापन के साथ एक प्रस्ताव दिनांक 21.1.2021 को व्यय विभाग (डीओई) को भेजा गया था। लेकिन, ईएफसी की बैठक नहीं हो सकी। चूँकि प्रस्ताव का ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है, 500 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 में किए गए बजटीय प्रावधान) को वित्त वर्ष 2020-21 में सीजीएफएमयू कॉर्पस के संवर्धन के लिए जारी नहीं किया जा सका।</p>	अवधि	संवितरित निधि (करोड़ रुपये में)	मार्च, 2016	500	अगस्त, 2016	1,500	जुलाई, 2017	500	जुलाई, 2018	300	अगस्त, 2018	200	कुल	3,000		
अवधि	संवितरित निधि (करोड़ रुपये में)																		
मार्च, 2016	500																		
अगस्त, 2016	1,500																		
जुलाई, 2017	500																		
जुलाई, 2018	300																		
अगस्त, 2018	200																		
कुल	3,000																		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
5	5	समिति यह पाती है कि ब्याज के भुगतान (निवल आधार पर) में बजट अनुमान में 101498.16 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जो बजट अनुमान (2020-21) में 708203.16 करोड़ रुपए से बढ़कर ब. अ. (2021-22) में 809701.32 करोड़ रुपये हुई अर्थात् इसमें 14.33% की वृद्धि हुई है। समिति को सूचित किया गया कि कोविड -19 महामारी के आलोक	विभाग ने समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में निहित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार को यह आदेश देती है, "... राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घावधिक वृहद आर्थिक सहायता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को सुनिश्चित करना..."	स्वीकृत	---

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>में उधार की बढ़ती मात्रा और सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण अधिक प्रावधान किया गया है। समिति यह समझती है कि ये असाधारण उपाय असाधारण समय की मांग हैं, लेकिन ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने और अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता के पथ पर बनाए रखने और निजी निवेश की अतिरेकता से बचने के लिए जल्द से</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जल्द ठोस वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।			
6	6	“इस कोविड-19 से प्रभावित विश्व अर्थव्यवस्था में, समिति की यह राय है कि ऋण और राजकोषीय गतिशीलता की गहरी और स्पष्ट समझ समय की मांग है। ईंधन की कीमतों, ब्याज दरों, वस्तुओं की कीमतों, मुद्रास्फीति की संभावनाओं, राजकोषीय विस्तार	बजट भाषण 2021-22 के पैरा -140 में माननीय वित्त मंत्री ने निर्दिष्ट किया है कि, “ हमें राजकोषीय समेकन के अपने मार्ग के साथ योजना बनाना जारी रखना है, और इस अवधि के दौरान समुचित रूप से त्वरित गिरावट 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटा स्तर तक पहुँचने की मंशा रखनी है। हमें प्रथम संवर्धित अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व के आधिक्य को बढ़ाते हुआ और द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों और भूमि सहित आस्तियों के मुद्रीकरण से अभिवृद्ध प्राप्तियों द्वारा समेकन प्राप्त करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त बजट भाषण के पैरा -145 में निम्नलिखित उल्लेख है, उस व्यापक रीति के साथ - साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की दिशा में जिसको मैंने पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है, मैं एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुनः स्थापित करूंगी।” भारत सरकार की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को स्पष्ट रूप से संसद में बजट दस्तावेजों के साथ रखा गया। माध्यम - अवधि -राजकोषीय -नीति-सह-राजकोषीय नीति- कार्य नीति विवरण।	स्वीकृत	---

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>आदि जैसे विभिन्न परिवर्ती घटके बहु-परिदृश्य विश्लेषण घटक इस अस्थिर आर्थिक समय में विभिन्न बाधाओं और कमजोरियों से बचने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाजार बहुत आशावादी हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था के हित में होगा यदि हम आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली विभिन्न संभावनाओं के साथ पहले से तैयार रहें। इसलिए,</p>	<p>संभावित आकस्मिक स्थगनों और पूंजी प्रवाहों में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में विदेशी क्षेत्र की संवेदनशीलता अन्य घटकों के बीच प्रकट हो सकती है। हालाँकि, भारत के विदेशी ऋण को विवेकपूर्ण ढंग से वर्षों से प्रबंधित किया गया है, सीएडी को लगभग वहनीय स्तरों के आसपास बनाए रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण, विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक विदेशी ऋण की हिस्सेदारी सहित सभी बाहरी क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक सुविधाजनक हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की पूंजी की पर्याप्तता संतोषजनक से अधिक है, जिसे पर्याप्तता मैट्रिक्स के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, भारत के विदेशी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्य अपेक्षित सुरक्षा तंत्र के भीतर हैं।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		समिति वित्तीय स्थिति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से ऋण और वित्तीय गतिशीलता को समझने की आवश्यकता पर जोर देना चाहेगी। आर्थिक कार्य विभाग को राजकोषीय गतिशीलता पर एक श्वेत- पत्र प्रकाशित करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि कितना			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		राजकोषीय संसाधन जुटाया गया है। डीईए को यह भी उजागर करना चाहिए कि इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव है।”			
7	7	<ul style="list-style-type: none"> • विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करना बजट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अनुमानों से विचलन से राजकोषीय 	<u>रणनीतिक विनिवेश:</u> <ul style="list-style-type: none"> • सौदों को संपन्न करने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। • अनुभव के आधार पर, रणनीतिक विनिवेश के लिए क्रियाविधि में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। • इस प्रक्रिया को तेज और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए अक्टूबर 2019 में सीसीईए के अनुमोदन के साथ रणनीतिक विनिवेश की क्रियाविधि में संशोधन किया गया था। 	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>गतिशीलता में भारी परिवर्तन हो सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> दीपम को विनिवेश प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से प्रशासनिक नम्यता बरतनी चाहिए, गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और विनिवेश के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया पर तेज नजर रखी जानी चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> इसके अलावा, सौदा विशिष्ट मामलों के लिए समय-समय पर दीपम के पक्ष में विशेष प्रत्यायोजन किए गए हैं। एक मानकीकृत विस्तृत सुरक्षा मंजूरी तंत्र भी तैयार किया गया है। <p><u>परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मंत्रिमंडल ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सीपीएसईस/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए क्रियाविधि और तंत्र का अनुमोदन किया है। दीपम को गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए अधिदेशित किया गया है। मुद्रीकरण के मॉडल का अनुमोदन वैकल्पिक तंत्र द्वारा किया गया है। विश्व बैंक सौदा सलाहकार (टीए) भूमि मुद्रीकरण एजेन्सी के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मॉडलों और भूमि मुद्रीकरण तंत्र की समीक्षा करने में दीपम का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि वर्ष 2020-21 के बजट में घोषणा की गई थी विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। 		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
8	8	एक स्थायी विनिवेश नीति का निर्माण जिसमें मानक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो और सर्वोत्तम वैश्विक विनिवेश मॉडलों को अपनाया गया है।	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने हाल ही में वर्ष 2021 में सरकारी क्षेत्र के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लिखित है कि रणनीतिक क्षेत्रों में धारक कंपनी के स्तर पर मौजूदा पीएसईस में सरकार के नियंत्राधीन केवल न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष उद्यमों के निजीकरण या अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक कंपनी बनाने या बंदीकरण पर विचार किया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों की पीएसईस के निजीकरण पर विचार किया जाएगा, जहां व्यवहार्य हो, अन्यथा ऐसे उद्यमों के बंदीकरण पर विचार किया जाएगा। नीति आयोग विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल (सीजीडी) और मंत्रियों के वैकल्पिक तंत्र (एएम) की संबंधित भूमिकाओं के साथ नई पीएसई नीति के संचालन के तंत्र को भी परिभाषित किया गया है। सौदे की संरचना और समय अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त क्रमबद्धता के महत्व, क्षेत्रीय प्रवृत्तियों, प्रशासनिक व्यवहार्यता, निवेशक अभिरुचि आदि पर निर्भर करेगा। सौदों को संरचित करते समय और निष्पादित करते समय वैश्विक परिपाटियों के आधार पर पेशेवर सलाहकारों की सलाह ली जाती है। 	स्वीकृत	
9	9	समिति ने बैंक की बहियों को दुरुस्त करने और मौजूदा दबावग्रस्त ऋणों के	जैसा कि आईबीए द्वारा प्रस्तावित किया गया है, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का उद्देश्य आरबीआई के मौजूदा नियमों के अनुसार इसे प्रभावी बनाना है, जो खुली नीलामी या स्विस् चेलेंज पद्धति के माध्यम से मूल्य आदेश को अधिदेशित करता है।	दबावग्रस्त आस्ति के विक्रय के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों में खुली	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		समेकन करने और उनको ग्रहण करने और तत्समय के कीमत की वसूली के लिए आस्तियों का प्रबंधन और निपटान वैकल्पिक निवेश निधियों और अन्य सम्भावित निवेशक को करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना के उपायों के साथ स्ट्रेन्ड एसेट्स रेजोल्यूशन के लिए उठाए गए कदम को नोट किया। समिति		निविदा अथवा स्विस् चैलेंज के माध्यम से मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, इस सिफारिश पर टिप्पणी करते समय आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा है कि "लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर आस्तियों को अंतरित करने की तुलना में उचित मूल्य पर आस्तियों का अंतरण अधिक	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>एआरसी-एएमसी, जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के स्वामित्व में होगा, की स्थापना से समेकित निर्णय लेने की प्रक्रिया के द्वारा समय की बचत और देरी से बचने की दिशा में उठाए गए इस कदम की सराहना करती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऋण का समेकन करती है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ समय के लिए अनुभवी पेशेवरों के सेट के साथ</p>		<p>विवेकपूर्ण एवं इष्टतम होगा।” इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।</p>	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		परिसंपत्ति का संचालन करती है, इसका समाधान निकालती है और फिर इसे निवेशक या एआईएफ को बेचती है। समिति को आशा है कि समेकित निर्णय लेने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभाव को और गहन और व्यापक बनाने के लिए यह सिफारिश करती है कि तनावग्रस्त संपत्ति को 'बुक वैल्यू' पर स्थानांतरित किया			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जाना चाहिए क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट पर इसे जितने अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उतना ही आर्थिक दृष्टि से इसका मूल्य कम होता जाता है।			
10	10	इसके अतिरिक्त, समिति की राय है कि आरबीआई 'बैंड बैंक' की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि वह एक आदेश या अधिसूचना जारी करके प्रत्येक चरण	मौजूदा नियामक ढांचे के अंतर्गत एआरसी-एएमसी फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। कोई नियामक व्यवस्था/छूट अपेक्षित नहीं है। इस सिफारिश पर आरबीआई से टिप्पणियां मांगी गई थीं। आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सूचित किया है: "सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित संरचना को कुछ सरकारी सहायता के साथ बैंक के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है। रिजर्व बैंक के लिए इस तरह के परिचालन और वाणिज्यिक पहलुओं में उद्यम करना वांछनीय नहीं हो सकता है। हालांकि, चूंकि प्रस्तावित इकाई को एआरसी के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, एआरसीएस के नियामक होने के नाते, रिजर्व बैंक ने पहले से ही एआरसीएस के कामकाज के लिए एक नियामक ढांचा	सिफारिश में एआरसी-एएमसी संरचना में विनियामकीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है, जो आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। आरबीआई से किसी	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		को परिभाषित करते हुए पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, और बैंक की ओर से अस्पष्टता या विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं रखता है। समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि इस स्तर पर एक विनियामक हस्तक्षेप अंततः उसे और अधिक सुचारु बनाएगा और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक	निर्धारित किया है और बैंक/एनबीएफसीएस द्वारा दबावग्रस्त संपत्तियों को एआरसीएस को अंतरित करने के लिए सुनिर्धारित मानदंड मौजूद हैं।"	आदेश/अधिसूचना की परिकल्पना नहीं की गई है। इस सिफारिश के उत्तर में आरबीआई की व्यक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है।	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>गति लाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को यह दर्शाना होगा कि एआरसी-एएमसी को हानि के अंतरण के लिए इसके प्रस्तावित नियम किस प्रकार से वास्तव में सर्वोत्तम हैं। उसके नियमों में प्रशासनिक स्पष्टता और आर्थिक तार्किकता दोनों होनी चाहिए। वर्तमान में एनपीए के रूप में किसी परिसंपत्ति को अनलॉक करने के लिए यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जाना चाहिए।			
11	11	समिति समझाती है कि बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए लम्बी अवधि की पूंजी की आवश्यकता है और यह अभी भी नवजात अवस्था में है और इसलिए इसके लिए एक समर्पित डीएफआई की आवश्यकता है। समिति को विश्वास है कि संप्रभु समर्थित संस्थान का होना सही रहेगा जो निवेशकों को विश्वास दिलाएगा। साथ ही, इस तरह की संस्था	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक अधिनियम, 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक की स्थापना का प्रावधान है। प्रारंभ में, यह संस्था पूर्णतः केंद्र सरकार के स्वामित्व में होगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में, प्रस्तावित संस्थान में 20,000 रुपये की पूंजी निवेश करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, केंद्र सरकार, संस्था की स्थापना से पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक, नकद या विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को 5,000 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान या योगदान देगी। नए डीएफआई की स्थापना पर एक श्वेत पत्र संलग्न है (अनुलग्नक: पृष्ठ सं.47-52)। अधिनियम की धारा 29 में अन्य डीएफआई की स्थापना का प्रावधान है। तथापि, किसी निजी डीएफआई को कोई सरकारी निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापित डीएफआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार होगा और नए डीएफआई से दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी जमा राशि के संबंध में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त विकास वित्त संस्थान को लगातार पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आयकर छूट प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2021 में अपेक्षित प्रावधान किया गया है,	जी हां।	सिफारिश के अनुसार नए डीएफआई के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		होने से एक सूत्रधार की भूमिका निभाने में, एक बाजार निर्माता बनने में मदद मिलेगी, निवेशक आधार को व्यापक बनाया जा सकेगा और यह बांड बाजार के पोषण और उसे और गहन बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। समिति को सूचित किया गया कि इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे दस	जिसे अगले पांच वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूंकि ये डीएफआई अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (नाबार्ड, एक्विज़म बैंक, सिडबी और एनएचबी) पर लागू आरबीआई की विवेकपूर्ण संरचना के अंतर्गत काम करेंगे, अतः इन सभी मामलों में आरबीआई की निगरानी रहेगी।		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>गुना तक उधार लिया जा सकता है यानी 2 लाख करोड़ रुपए की ऋण बही जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि शुरू में केंद्र सरकार के पास इसका स्वामित्व 100 प्रतिशत तक होगा और इस हिस्से को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए अधिनियम में एक उपबंध किया जाएगा, यानी निजी डीएफआई के लिए</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>एक लाइसेंसिंग ठांचा प्रदान किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि डीएफआई के लिए निर्धारित 20,000 करोड़ रुपए की राशि बड़ी है और यह अत्यंत आवश्यक है कि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए क्योंकि इस राशि की अवसर लागत अन्य सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रम को प्रदान की जा सकने वाली</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>सहायता की दृष्टि से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, समिति चाहती है कि भारत में और विश्व भर में सामने आई अड़चनों और उन पर काबू पाने के लिए कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए इसे सफल बनाने के लिए बनाई गई कार्यन्वयन योजना का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र, समिति को प्रस्तुत किया जाए। विशेष रूप से यह कहा गया कि डीएफआई का</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		प्रबंधन पेशेवर की तरह किया जाएगा। समिति यह जानना चाहती है कि कैसे और किन सुरक्षापायों के साथ सरकार की निधि किसी निजी पेशेवर तरीके से प्रबंधित डीएफआई को उपलब्ध करायी जाएगी।			
12	12	समिति ने दृढ़ता से कहा कि अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए ऋण निर्धारण पद्धति को अधिक पारदर्शी, कम व्यक्तिपरक और	आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और पहलों की अद्यतन स्थिति मूडीज, फिच और एसएंडपी जैसी सॉवरेन ऋण निर्धारण एजेंसियों (एससीआरए) के साथ निरंतर रूप से सांझा कर रहा है। विभाग नियमित रूप से निर्धारण एजेंसियों के साथ मासिक आर्थिक समीक्षा साझा करता रहा है। भारत सरकार के विकास पूर्वानुमान और राजकोषीय दृष्टिकोण के बारे में सूचना देने के लिए सचिव (डीईए) और सीईए के स्तर पर टेलीकांफ्रेंसों और वार्षिक सॉवरिन ऋण निर्धारण समीक्षा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।	हाँ	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>बेहतर बनाया जाना चाहिए। ऋण निर्धारण चूक की संभावना को प्रस्तुत करता है और इस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। भारत की इच्छा और भुगतान करने की क्षमता को उसके शून्य सॉवरेन चूक इतिहासके माध्यम से अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है और इसके बावजूद इसे निवेश</p>			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		श्रेणी के सबसे निचले पायदान में अजीब रूप में निर्धारित किया गया है जो आर्थिक तर्क को धता बताता है। समिति ने मंत्रालय से सॉवरेन ऋण निर्धारण में भारत के मूल सिद्धांतों के तहत काम करने पर जोर देने और सभी उपायों के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया। ताकि भारत के शून्य सॉवरेन चूक इतिहास को दर्शाने वाली एक मजबूत			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		निर्धारण सही रूप से अनुमान किया जा सके और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को इक्विटी और एफपीआई के सकारात्मक प्रवाह के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद मिल सके।			
13	13	समिति नोट करती है कि देश में जीवन बीमा की पैठ 2.82% है, जबकि सामान्य बीमा 1% से कम है, जो सभी ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। समिति	<p>1. केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 को 19.05.2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में सुरक्षा उपाय किए गए हैं और जिनका विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनियों को पालन करना अपेक्षित है।</p> <p>2. प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का एक संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:</p> <p>i. विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनियों के संबंध में बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया गया है कि निदेशक मंडल में अधिकांशतः और प्रमुख प्रबंधक रेजिडेंट भारतीय नागरिक हों। नियम में यह भी</p>	जी हां।	भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2019 में तदनुसार संशोधन किया गया है एवं इसे दिनांक 19.5.2021 को

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		जनता में बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी देने की सलाह देती है। इस क्षेत्र में एफडीआई 49% से 74% तक बढ़ाने के संबंध में, समिति महसूस करती है कि इससे बीमा पैठ और घनत्व में वृद्धि होगी और नई प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, नए उत्पादों, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं और ग्राहक अनुभव के साथ नई पूंजी का	<p>व्यवस्था की गई है कि इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक रेजिडेंट भारतीय नागरिक हो।</p> <p>ii. उनतालीस प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।</p> <p>क. वित्तीय वर्ष जिसके लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है और जिसके लिए किसी भी समय सॉल्वेंसी मार्जिन सॉल्वेंसी के नियंत्रण स्तर के 1.2 गुना से कम न हो, वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ का पचास प्रतिशत सामान्य आरक्षित कोष में रखा जाएगा; और</p> <p>ख. इसके निदेशकों में से कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि इसके बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक न हो, इस मामले में बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।</p> <p>इसके अलावा, आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि आईआरडीएआई उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।</p>		<p>अधिसूचित किया गया। दिनांक 14.6.2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2 (2021 श्रृंखला) के माध्यम से उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के द्वारा एफडीआई नीति में परिणामी परिवर्तन किए गए हैं।</p> <p>इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के</p>

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>प्रवाह होगा। इसके अतिरिक्त, समिति का सुझाव है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बीमा कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी स्वाति वाली, अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करें और बीमा सुरक्षा और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा उचित सुरक्षा उपायों और निगरानी का पालन किया जाए।</p>			<p>द्वारा तदनुसार फेमा विनियम में संशोधन की प्रक्रिया चलायी जा रही है।</p>

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक की स्थापना के संबंध में श्वेत पत्र

पृष्ठभूमि

देश में अवसंरचना वित्तपोषण के परिदृश्य के सर्वेक्षण से “विकास बैंक” के रूप में एक नई वित्तीय संस्था (विकास वित्त संस्था के रूप में संदर्भित, संक्षेप में डीएफआई, अथवा संक्षेप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, एआईएफआई) की आवश्यकता महसूस हुई, जो विशिष्ट रूप से ग्रीनफील्ड अवसंरचना वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस विकास बैंक से वित्तीय क्लोजर के आधार पर तथा अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर कोविड काल के पश्चात् के वास्तविक निवेश चक्र को आरंभ करने में सहायता करना अपेक्षित है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ ही बांड बाजार का भी विकास हो तथा डीएफआई इसे सहायता प्रदान करे।

विश्व भर में विकास बैंकों/डीएफआई ने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने, बाजार की विफलताओं का समाधान करने में सहायता करने तथा निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत का भी डीएफआई इतिहास समृद्ध रहा है। तथापि, इनका ध्यान मुख्यतः औद्योगिक विकास को समेकित करने पर केंद्रित रहा है न कि अवसंरचना सृजन पर क्योंकि वर्ष 2000 के शुरुआती दिनों में अधिकांश डीएफआई को सरकार द्वारा ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण) आधार पर गठित किया जाता था।

1990 के दशक में डीएफआई

वर्ष 1990 तक डीएफआई में सस्ते निधिपोषण के स्रोत लगभग रातों-रात समाप्त हो गए। उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी पद्धतियां ऐसे युग अर्थात् बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित थीं, जो समाप्त हो रही थी तथा निगरानी रखने वाले क्रेडिट ब्यूरो अथवा सीआरआईएलसी, जो उन्हें बेहतर रूप से सही सूचना देने में सहायक हो सकते थे, के बिना लाइसेंस/अनुमति पत्र दिए जाते थे। सरफासी अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002) को अधिनियमित नहीं किया था तथा कोई भी क्षेत्रवार कानून जैसे कि विद्युत अधिनियम अस्तित्व में नहीं थे पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) अथवा मानक ब्लूट करार केवल नाम के लिए ही थे। अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को खोल रही थी। भावी संकट स्पष्ट था तथा चुनौती अत्यधिक प्रबल साबित हुई। इसके प्रतिउत्तर में, आईसीआईसीआई तथा आईडीबीआई सार्वजनिक बैंक बन गए, जबकि आईएफसीआई एक एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था) के रूप में स्थापित हुई।

नई डीएफआई की आवश्यकता

विगत डीएफआई के अनुभव से मिली सीख, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक के निर्माण में उपयोगी साबित हुई है। इनसे प्राप्त सीख तथा अन्य सकल डीएफआई की उपयुक्त विशेषताओं को अपनाकर, “उपयोग के लिए उपयुक्त” तथा व्यापक स्तर पर डीएफआई को बनाया जाना था, जो अवसंरचना क्षेत्र को एक स्थायी पूंजी (प्राथमिक ऋण) उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तथा अन्य के वित्तपोषण तथा 5 यूएसडी ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में देश को समर्थ बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा करे।

केंद्रीय बजट 2019-20 में, सरकार ने अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। इस पृष्ठभूमि में, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय/आर्थिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाएं, जिन्हें एनआईपी में शामिल किया जा सकता है, को अभिचिह्नित करने हेतु सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालीय कार्य बल का गठन किया गया था। एनआईपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान भारत में 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अनुमानित अवसंरचना निवेश की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त दीर्घावधि वित्तपोषण की आवश्यकता है। चूंकि एनआईपी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, एनआईपी के वित्तपोषण में, कुल अपेक्षा के 8-10% की सीमा तक डीएफआई से निधिपोषण की परिकल्पना की गई है।

अवसंरचना वित्तपोषण की चुनौतियां

अवसंरचना वित्तपोषण दीर्घावधि तथा बिना किसी अवलंब का होता है अर्थात् ऋण का पुनर्भुगतान केवल परियोजना के नकदी प्रवाह से किया जाता है न कि उधारदाता की अन्य आस्तियों से। तथापि, अपनी पद्धति के अनुरूप ऐसे वित्तपोषण में जोखिम अंतर्निहित होता है। ऋण का दीर्घावधि होना, कार्यान्वयन में अनापेक्षित चुनौतियां तथा आस्तियों के कार्यनिष्पादन में अनिश्चितता ऐसे प्रमुख कारक हैं, जो जोखिम को निर्धारित करते हैं। पुनर्भुगतान परियोजना के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है क्योंकि कॉर्पोरेट उधार से भिन्न परियोजना ऋणों में कोई भी अंतर्निहित संपार्श्विक नहीं होता है, जिसे भुनाया जा सके।

भारत में बैंक सामान्यतः अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने से कतराते हैं जो कि विगत पांच वर्ष के दौरान अवसंरचना क्षेत्र को दिए गए बैंक उधार के एक ही स्तर पर बने रहने से प्रमाणित होता है। इसके अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम, जबकि बैंक अधिकतर अल्पावधि जमा राशि जुटाते हैं, अवसंरचना वित्तपोषण में दीर्घावधि ऋण, जो कि 20-30 वर्ष के लिए होता है, शामिल है। दीर्घावधि वित्तपोषण की अपेक्षा का अर्थ यह है कि अधिकांश बैंक अस्ति देयता असंतुलन (एएलएम) अर्थात् उनकी जमा राशि की औसतन अवधि, जो कि अल्पावधिक होती है तथा दीर्घावधि ऋण को सपोर्ट नहीं कर सकते, का सामना करना पड़ता है। दूसरा, अवसंरचना जोखिम में अंतर्गस्त जोखिम के फलस्वरूप ऋण की लागत अधिक होती है, जिसकी उच्चतर ब्याज दरों के माध्यम से प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे परियोजना की अर्थक्षमता प्रभावित होती है। बैंकों को यह कड़ी सीख उसके द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण के अनुभव से मिली है, जो बाद में वही अनुप्रयोज्य आस्तियों में परिवर्तित हो गई। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक, लगभग सभी निजी बैंकों तथा

एनबीएफसी उधारदाताओं ने इस व्यवसाय को छोड़ दिया है। तीसरा, जोखिम का अधिकतर भाग बैंक के हिस्से आता है क्योंकि भारत में कार्पोरेट बांड बाजार न तो पर्याप्त रूप से विस्तृत है, न ही पर्याप्त रूप से परिपक्व, जो भारत की अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

नई डीएफआई संबंधी दृष्टिकोण

इस उद्देश्य हेतु भूमिका, विनियम, स्वामित्व, अभिशासन व्यवस्था, उत्पाद समूह, संसाधन, आकार तथा एक कानून की आवश्यकता थी ताकि यह संस्था एक सार्थक तथा प्रभावी भूमिका निभा सके। अतः नई डीएफआई की स्थापना हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण को अपना गया:

अधिदेश – इसका उद्देश्य दीर्घावधि ऋण संस्था का निर्माण करना था, जो प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा चालित हो, जोखिम का आकलन करे तथा जो जबाबदेह/उत्तरदायी हो। डीएफआई से अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधि वित्त के क्षेत्र में बाजार की विफलताओं का व्यापक रूप से समाधान होने की अपेक्षा है। चूंकि बाजार की विफलताएं अनेक पहलुओं पर निर्भर करती हैं, डीएफआई एक सामर्थ्य प्रदाता तथा उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यह एक व्यापक अधिदेश होगा जो अवसंरचना के लिए वित्तपोषण के माहौल को निर्णायक रूप से परिवर्तित करने हेतु क्षमता तथा इच्छाशक्ति प्रदान करेगा। इसमें जोखिम उठाया जाना शामिल होगा तथा इसके अभिकल्प में इस तथ्य को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए कि जोखिम को निर्धारित किए जाने की संभावना हो। आवश्यक रूप से, जोखिम तथा संभावित देयताओं को अपनाए जाने से निगरानी गार्ड रेल तथा जोखिम को कम करने और जोखिम शेयरिंग के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता होगी। नई संस्था को दोनों, अर्थात् विकास संबंधी और वित्तीय अधिदेश प्राप्त होंगे। विकास संबंधी अधिदेश, अवसंरचना का वित्तपोषण उनके जीवन चक्र के दौरान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने तथा समग्र इको प्रणाली को विकसित करने के लिए बॉन्ड इत्यादि हेतु बाजार को समर्थित करने के विशिष्ट संदर्भ में प्रदान किया गया है। मध्यम से दीर्घकाल के दौरान, बॉन्ड बाजार को इस समर्थन का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डीएफआई द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के साथ बाजार से जुटाए गए ऋण को अनुपूरित करना है।

विनियामकीय ढांचा – साख के लिए संगत विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। संस्था की विशिष्ट विशेषता तथा सरकार से पूंजी अंशदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, डीएफआई को अन्य एआईएफआई (नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक तथा एनएचबी) पर लागू विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत परिचालित किया जाएगा।

स्वामित्व ढांचा – आरंभ में डीएफआई सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था होगी जो संस्था की स्थिरता तथा धारणीयता में विश्वास को बढ़ावा देगा जिससे यह प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने में सक्षम होगा। हिस्सेदारी में 74% तक कमी/ब्रिकी पर तब विचार किया जा सकता है जब उसने अपने व्यापारिक परिचालनों में स्थिरता हो और परिचालन विस्तृत हो।

अभिशासन ढांचा और प्रबंधन - अभिशासन ढांचे को दक्षता, सत्यनिष्ठा तथा निगरानी की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। यह भरोसा तथा विश्वास पैदा करेगा। सरकार की स्वामित्व वाली संस्था होने के बावजूद, उसे निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र रखा गया है। पारदर्शिता के स्पष्ट उद्देश्य, सुदृढ़ निवेशक विश्वास तथा बेहतर वित्तीय कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, यह संस्था प्रभावी नियंत्रण तथा कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र निदेशकों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ निदेशक मंडल द्वारा संचालित होगी। बोर्ड प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को नियुक्त करेगा। मुआवजा बाजार की पद्धतियों से नियंत्रित होगी। जोखिम बचाव हेतु अपर्याप्त रूप से सूचित अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षोपाय उपलब्ध कराए गए हैं। अवसंरचना वित्तपोषण के केंद्र बिंदु के रूप में, यह संस्था मौजूदा विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं की तुलना में उच्चतर अभिशासन मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाएगी। मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य ऋण अधिकारी तथा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा स्वतंत्र रूप में परिकल्पित की गई है।

उत्पाद पोर्टफोलियो - इस संस्था का उत्पाद पोर्टफोलियो व्यापक, अर्थात् सभी प्रकार से अवसंरचना वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए इसके संबद्ध दीर्घावधि परियोजना वित्तपोषण, अधिनस्थ ऋण, मंजनाइन वित्तपोषण, क्रेडिट गारंटी, वृद्धि, पुनर्वित्तपोषण, टेक-आउट, परियोजना बॉण्ड के लिए बाजार/बैंक स्टॉप खरीददार इत्यादि मौजूद हैं। इससे परियोजना संरचना, वित्तीय क्लोजर, निगरानी तथा मौद्रिकरण/पुनर्क्रय को सुकर बनाने के लिए इसमें एक स्वतंत्र वर्टिकल/अनुषंगी होगा ताकि परियोजना अवधि के दौरान इसे सहायता दी जा सके।

संसाधनों को जुटाना - न्यूनतम लागत वाली निधियों तक पहुंच के संबंध में डीएफआई की अर्थक्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, हेजिंग लागत, सरकारी गारंटी, आयकर से छूट, इसके द्वारा जारी बॉण्ड्स की एसएलआर स्थिति, पेंशन बीमा तथा भविष्य निधि इत्यादि में निवेश की पात्र स्थिति के रूप में डीएफआई के लिए न्यूनतम लागत वाली निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

सांविधिक ढांचा - 4 एआईएफआई में से प्रत्येक को देश की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। इस डीएफआई को भी एक कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है जो पहले से ही अधिनियमित है। यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित सरकारी सहयोग के माध्यम से साख और औचित्य प्रदान करेगा जिसमें अस्पष्टता अथवा बाजार अनुमानों का कोई स्थान नहीं होगा। इस कानून में निजी डीएफआई को स्थापित करने हेतु समर्थकारी उपबंध किए गए हैं।

आकार : आकार तथा आकांक्षाओं के साथ नई डीएफआई परिवर्तन लाएगी। 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी तथा 1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी यह सुनिश्चित करेगी कि यह जब भी आवश्यकता हो काउंटर साइकल की भूमिका अदा कर सकता है। यह दीर्घावधि ऋण प्रदान करेगा तथा इस अपेक्षा पर कार्य करेगा कि जोखिम को निर्धारित किया जाए। अतः निगरानी तथा सुरक्षा होगी। यह आकार न केवल 5 ट्रिलियन यूएस \$ अर्थव्यवस्था के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय क्लोजर को प्राप्त करेगा, अपितु अवश्यंभावी जोखिम तथा आकस्मिक देयताओं से बचाव हेतु सहन शक्ति प्रदान करेगा।

संक्षेप में, डीएफआई की संरचना तथा कार्यपद्धति के लिए कई प्राथमिकताएं हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- यह स्वीकार करना कि नई डीएफआई के लिए विकासात्मक तथा वित्तीय उद्देश्य, दोनों मायने रखेंगे
- अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बॉण्ड तथा डेरिवेटिव्स बाजार विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्य
- 100% भारत सरकार की धारिता के साथ आरंभ करके कम से कम 26% सरकार के स्वामित्व प्रतिबद्धता
- सरकारी धन निधियों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थाओं, पेंशन निधियों, बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी को खोलना
- एक पेशेवर बोर्ड, जिसमें 50% गैर-सरकारी निदेशकों हों
- बोर्ड के अध्यक्ष तथा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में प्रबुद्ध व्यक्तियों की परिकल्पना की गई है।
- पूर्णकालिक निदेशकों को नियुक्त एवं निष्कासित करने की शक्ति बोर्ड को देना
- बाजार मानकों पर आधारित पारिक्षमिक जो मेधा वर्ग से सर्वोत्तम को आकर्षित करने की क्षमता प्रदान करता है।
- एमडी तथा डीएमडी के लिए उच्चतर आयु सीमा तथा लंबा कार्यकाल
- परियोजना के जीवन चक्र के अलग-अलग चरणों के लिए उपयुक्त उत्पादों का व्यापक समूह
- 5वर्ष में एक बार अनिवार्य कार्यनिष्पादन समीक्षा
- अल्प लागत निधिपोषण हेतु छूट तथा सहायता
- अपर्याप्त रूप से सूचित अभियोजन और अन्वेषण से सुरक्षा
- निजी डीएफआई की स्थापना हेतु एक अवसर
- मूल्यांकन और निगरानी में प्रौद्योगिकी पर फोकस

ये उपाय अभूतपूर्व तथा स्पष्ट हैं, जो 1980 के दशक, जब अन्य डीएफआई जैसे सिडबी तथा एनएचबी को स्थापित किया गया था, की विचार प्रक्रिया से उपजी पुरानी सोच से निर्णायक रूप से पृथक्ता को दर्शाता है।

कार्यान्वयन योजना

- नई डीएफआई को स्थापित करने हेतु “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक विकास बैंक विधेयक, 2021” को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तथा उक्त को दिनांक 28.03.2021 को अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं को अधिसूचित कर दिया गया है।
- संस्था के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का चयन अग्रिम चरण में है। अध्यक्ष (सरकार द्वारा नियुक्ति के पश्चात्) तथा दो सरकारी नामिति निदेशकों को मिलाकर निदेशक मंडल (बीओडी) का गठन किया जाएगा। बीओडी, इसके पश्चात्, बीबीबी से पूर्णकालिक निदेशकों के नाम की अनुशंसा करने हेतु अनुरोध करेगा।
- इसके साथ ही, वांछित नियमों तथा विनियमों को तैयार किया जाएगा।
- नैबफिड की स्थापना हेतु प्रबंधन परामर्शदाता के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी कर दिया गया है। प्रबंधन परामर्शदाता को शीघ्र ही नियुक्त कर लिया जाएगा। परामर्शदात्री फर्म मैनुअल, एसओपी तैयार करने, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, जोखिम निगरानी प्रणालियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- डीएफआई के 2021 के अंत तक परिचालनरत होने की संभावना है।

Annexure

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the Twenty fifth Report of the Standing Committee on Finance presented to Lok Sabha/ laid in the Rajya Sabha on 16th March, 2021 relating to Ministry of Finance.

S.No.	Recommen- dation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
1.	1	The Committee note that the budget outlay for Department of Economic Affairs as a whole is at ₹ 99549.53 crore i.e. a rise of ₹ 47890.57 crore from the previous BE 2020-21 which was ₹ 51658.96 crore, while even the revised estimate for FY 2020-21 stands at just ₹ 38645.88 crore. The reasons cited by DEA for the decreased fund requirement by ₹ 13013.08 crore at RE stage include lesser proposals received towards Assistance for infrastructure Development- Viability Gap Funding, revision of estimated total value of gold deposited in FY 2020-21 under Gold Monetisation scheme, non-requirement of funds towards subscription to international Monetary Fund, decrease of ₹ 11000 crore towards inter account transfer for National investment Fund (NIF)	<p>Hon'ble Committee's recommendations have been noted for implementation. It is stated that budget outlays are generally made anticipating the approval of the schemes by the Competent Authority. Expeditious scheme implementation depends on many factors such as drawing up detailed scheme implementation guidelines, selection of implementing agencies, compliance of various statutory requirements before release of funds, etc. In certain cases, sluggish responses than anticipated results into slow pick-up of the schemes.</p> <p>Regarding the NIF, the decision of the Cabinet taken on 27.1.2005 regarding creation of NIF and utilization of 75% of the income so generated to finance select social sector schemes, promoting education, health & employment and the balance 25% on capital requirements of</p>	Accepted	----

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)																							
1	2	3	4	5	6																							
		<p>etc. It is further stated that most of the savings were largely due to post budget decisions/non finalisation of schemes/situations arising due to Covid-19, exchange rate variations etc. which could not be visualized at the time of framing of Budget estimates. The Committee understand and appreciate the challenges faced by the economy during the pandemic and measures undertaken to resurrect it but are of the view that some factors such as 'non-finalisation of schemes' could have been avoided with greater diligence and objectivity while formulating the Budget Estimates. Also, adequate modeling to factor in various exigencies should be done from time to time to be more prepared and soften the sudden jolts to the economy. The Committee would like to point out that draw down, from National investment Fund (NIF) over the years-have been quite limited. In this regard the Committee would like the</p>	<p>profitable and revivable CPSEs, has been revisited by the Cabinet in 2013.</p> <p>The disinvestment proceeds are being allocated for Health & Education and other infrastructure sectors like Ministry of Railways and Ministry of Road Transport and Highways. The investment in infrastructure sector not only facilitates creation of capital assets but also has a positive impact on employment generation.</p> <p>The details of allocation to the above sectors out of total NIF allocation from 2019-20 onwards is as under:</p> <table><tr><td colspan="5">₹ In Crore)</td></tr><tr><td rowspan="3">Allocation/Utilization out of NIF</td><td colspan="2">Actuals (Prov.)</td><td>RE</td><td>BE</td></tr><tr><td colspan="2">2019 - 2020</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td></tr><tr><td>Disinvestment receipts</td><td>Utilization</td><td>Allocation</td><td>Allocation</td></tr><tr><td>Total</td><td>50304.33</td><td>67969.38</td><td>32000</td><td>100000</td></tr></table>	₹ In Crore)					Allocation/Utilization out of NIF	Actuals (Prov.)		RE	BE	2019 - 2020		2020-21	2021-22	Disinvestment receipts	Utilization	Allocation	Allocation	Total	50304.33	67969.38	32000	100000	<p>on 27.1.2005 and the allocations out of NIF are being done on the basis of the revised Cabinet Decision.</p>	
₹ In Crore)																												
Allocation/Utilization out of NIF	Actuals (Prov.)		RE	BE																								
	2019 - 2020		2020-21	2021-22																								
	Disinvestment receipts	Utilization	Allocation	Allocation																								
Total	50304.33	67969.38	32000	100000																								

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Government to make gainful use of the corpus fund as mandated i.e. utilization of 75% of the annual income from the fund for financing selected social sector schemes which promotes education, health and employment. The remaining 25% of annual income is for meeting the capital investment requirements of profitable and revivable Public Sector Units.			
2.	2	With regard to the allocation of ₹ 99549.53 crore for 2021-22, the Committee were informed that the major increase was on account of provision of ₹ 44714.64 crore under the Head "Support for Infrastructure Pipeline", which is meant for projects / programmes / Departments that show good progress on Capital Expenditure and are in need of further funds and provision of ₹ 29500 crore made for inter account transfer in 'Appropriation to the Contingency Fund of India' for enhancing corpus	It is stated that a major budget provision on Support for Infrastructure Pipeline (₹44714.64 crore) has been made under DEA grant for F.Y. 2021-22 which would be utilized for projects / programmes / departments that show good progress on Capital Expenditure. Secondly, another major budget provision has also been made in DEA Grant for F.Y. 2021-22 for Appropriation to the Contingency Fund of India (₹29500.00 crore). 2. Further, enhanced provisioning of BE (2021-22) in r/o National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) (₹4500.00 crore)	Accepted	--

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>of CFI from ₹ 500 crore to ₹ 30,000 crore. The other increased demands are for meeting payments towards interest equalization support to Export Import (EXIM) Bank, increase of ₹ 4500 crore for NIIF, loans to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB) etc. The Committee would like to emphasize that Department of Economic Affairs should endeavour to be a role model and set impeccable example for other ministries/departments in preparation of realistic estimates and optimal utilization of funds sanctioned. The department carries huge weight of keeping the economy on path of fiscal stability and giving the much needed upward push to the economy and should hence ensure proper utilization of the funds.</p>	<p>& Interest Equalisation Support to EXIM Bank (₹1200.75 crore) has been made on the basis of optimal utilisation of sanctioned funds viz. 99.99% & 100% in r/o NIIF & IES to EXIM Bank respectively during F.Y. 2020-21. Furthermore, there are provisioning for some obligatory international payments wherein fluctuations in exchange rate variations are also to be taken into consideration.</p> <p>3. The Department always endeavors to prepare realistic budget provisions and to ensure that the budget provisions are utilized optimally. Non-utilisation of provisions have taken place due to post budget decisions, non-finalisation of projects / schemes, exchange rate variations etc. Hon'ble Committee's recommendations have been noted for implementation and all efforts will be made to set to ensure that the Budget provisions under DEA Grant are made on realistic estimates.</p>		
3	3	The Committee observe that the revised estimated for the	(i) As part of the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan, Emergency Credit Line	Yes	Cabinet has

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>Department of Financial Services for the year 2020-21 rose by ₹ 22,755.56 crore to ₹ 51,830.58 crore from the initial budget allocation of ₹ 29,075.02 crore. The Committee were informed about the reasons for this rise, some of them being the recapitalization of banks, relief to MSMEs through the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), liquidity to NBFCs through Partial Credit Guarantee Scheme, relief to borrowers on interest on loan moratorium, capital provision to public sector insurance companies etc. The Committee are of the view that this enhanced RE of ₹ 51,830.58 crore for the year 2020-21 and the BE 2021-22 of ₹ 51,510.81 crore will be vital in reviving the economy and making it more resilient to any future volatilities. Further, providing adequate provision for continued support to the vital sector of MSME which can cushion the domestic economy by providing both employment and</p>	<p>Guarantee Scheme (ECLGS) was introduced in May, 2020 as an emergency measure to combat the unprecedented crisis caused in the wake of Covid-19 pandemic. Under the scheme, collateral free credit from Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions, Non-Banking Financial Companies is provided to eligible Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) units, business enterprises and individual loans for business purposes upto 20% of their outstanding credit upto ₹ 50 crore as on 29.2.2020, subject to the account being less than or equal to 60 days past due as on 29.2.2020. This additional credit is fully covered by a credit guarantee provided by the Government through National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC). The loans provided under ECLGS have a 12-month moratorium on repayment of principal. The Scheme was extended through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the health care sector. The entities with outstanding credit above ₹ 50 crore and not exceeding ₹ 500 crore as on 29.2.2020 were made eligible under ECLGS 2.0 subject to</p>		<p>approved additional funding of ₹ 1.50 lakh crore under ECLGS, thereby enhancing the total funding under ECLGS to ₹ 4.5 lakh crore.</p> <p>As informed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC), as on</p>

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>income generation will be crucial in the coming times. The Committee thus, opine that strengthening or providing more funding to ECLGS will be a step in the right direction as ECLGS worked immensely well to support MSMEs through this difficult period during the pandemic. Moreover, easier access to formal credit and prompt payment of dues to the MSME sector should be ensured.</p>	<p>the account being less than or equal to 60 days past due as on 29.2.2020.</p> <p>(ii) Government has now extended the scope of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) on 31.3.2021 through introduction of ECLGS 3.0 to cover business enterprises in Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors which had, as on 29.02.2020, total credit outstanding not exceeding ₹ 500 crore and overdues, if any, were for 60 days or less, on that date i.e. 29th Feb 2020. ECLGS 3.0 would involve extension of credit of upto 40% of total credit outstanding across all lending institutions as on 29.02.2020 to enterprises in these sectors. The tenor of loans granted under ECLGS 3.0 shall be 6 years including moratorium period of 2 years.</p> <p>(iii) Further, in recognition of significant continuing adverse impact of COVID-19 on certain service sectors, some other modifications have been made in the Scheme, which <i>inter-alia</i> include, increase in moratorium period upto 1 year for loans</p>		<p>25.6.2021 loans amounting to ₹ 2.72 lakh crore have been sanctioned under the scheme.</p>

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>under ECLGS 1.0, permitted to lenders where restructuring is admissible as per Reserve Bank of India (RBI) norms, additional 10% credit to ECLGS 1.0 borrowers availing RBI's one-time restructuring facility, inclusion of Aviation sector within ECLGS 3.0 and removal of the cap of ₹ 500 Cr. of loan outstanding for ECLGS 3.0 subject to the maximum guarantee be capped at ₹ 200 Cr in each case and 100% guarantee under ECLGS upto a limit of ₹ 2 crore for setting up new oxygen plants has been permitted.</p> <p>Further, the validity of ECLGS i.e. ECLGS 1.0, ECLGS 2.0 & ECLGS 3.0 have been extended upto 30.09.2021 or till guarantees for an amount of ₹ 3 lakh crore are issued. Last date of disbursement under the scheme has been extended to 31.12.2021.</p> <p>(iv) As informed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC), as on 11.6.2021, loans amounting to ₹ 2.68 lakh crore have been sanctioned under the scheme.</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(v) A corpus of ₹ 41,600 crore for ECLGS has been approved by the Union Cabinet, to be provided in four tranches. ₹ 4,000 crore, which was provided in Financial Year (FY) 2020-21, has already been released. For the current FY an amount of ₹ 10,000 crore has been provided in the budget of MSME. However, DFS will continue to be the settlor under the Scheme.		
4.	4	<i>“The Committee note that there are several schemes under the ambit of Department of Financial Services wherein there have been savings in the last year and even before that and yet provisions have been made in the current year. The Committee would recommend that even though they are small amounts, conscious effort should be made by Department of Financial Services to mobilize the implementing agencies for these schemes to ensure sanctioning the budgeted amounts, as schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) which extends loans upto ₹10 lacs to eligible micro units;</i>	<p>i. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) no budget is allocated. However, PMJDY account holders are eligible for an overdraft facility of ₹ 10,000 as loan to the eligible beneficiaries. This OD amount of ₹ 10,000 qualifies under Shishu Mudra Loan and is eligible for guarantee coverage under Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU).</p> <p>ii. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY): As informed by MUDRA Ltd, they had, during FY 2019-20, initiated the process of publicity campaign with effect from March, 2020 under the Tag Line – “Har Kaam Desh ke Naam” and also planned the</p>	Yes

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<i>collateral free loans to Self Help Groups(SHGs); overdraft loans under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY); providing credit guarantee to facilitate bank loans between ₹ 10 lakhs to ₹ 1 crore to SC/ST and women entrepreneurs for setting up greenfield projects under the Stand-Up India Scheme etc. hold great importance not only for financial inclusion and giving support to sustainable ideas, but also for empowerment, upliftment and betterment of society. “</i>	<p>publicity on PMMY Anniversary Celebrations on completion of 5 years of PMMY. For this purpose, GoI released an amount of ₹ 10.00 crore (₹3.30 crore, ₹ 2.50 crore & ₹ 4.20 crore on October 23, 2019, March 03, 2020 & March 30, 2020 respectively) to Mudra Ltd. as Grants-in-Aid.</p> <p>However, due to outbreak of COVID-19 and imposition of lockdown across the country, the campaign could not be started and the amount of ₹ 10.00 crore remained unutilized with MUDRA Ltd. Out of this, ₹ 3.83 crore has been utilized by Mudra Ltd. in March 2021 towards creation of short videos of 10 borrowers in 13 languages by the Creative Agency. Since, an amount of ₹ 6.17 crore was available with Mudra Ltd as unutilized funds, the budget allocated for financial year 2020-21 amounting to ₹ 10.00 crore was surrendered. Mudra Ltd. is also being advised/requested from time to time to utilize these funds for carrying out the publicity and awareness campaign for the Scheme.</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>iii. Stand Up India (SUPI): The budgetary provision of ₹ 5.00 crore made for FY 2020-21 was surrendered in the month of March, 2021 due to sufficient funds lying unspent with SIDBI (out of budgetary allocation of ₹ 5.00 crore made in FY 2019-20). SIDBI has informed that as on 25.05.2021, ₹ 5.00 crore of Grants in aid for the financial year 2019-20 has been utilized. Now, the release of ₹ 5.00 crore out of budgetary allocation for FY 2021-22 to SIDBI is under process.</p> <p>iv. Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) Corpus:</p> <ul style="list-style-type: none"> With the approval of the Union Cabinet, a Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) was set up in January 2016, with an initial corpus of ₹ 3,000 crore for guaranteeing loans extended to eligible micro units under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) up to ₹ 10 lakh by Banks/Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/Micro Finance Institutions (MFIs)/other financial intermediaries, as also for guaranteeing Overdraft loan amount of 		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>₹ 5,000 (enhanced to ₹10,000 in Sep, 2018) sanctioned to the eligible beneficiaries under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).</p> <ul style="list-style-type: none"> CGFMU is managed by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) which is wholly owned by Government of India. Based on the recommendations of the Expert Committee appointed by RBI on Micro Small and Medium Enterprises chaired by Sh. U. K. Sinha (hereinafter referred to as U.K. Sinha Committee), and the announcement of the Hon'ble Finance Minister (FM) on 26th March, 2020 regarding increase in collateral free lending to SHGs from ₹10 lakh to ₹20 lakh, the Management Committee of CGFMU made certain changes to the extent of guarantee coverage provided by CGFMU. In the light of these changes, NCGTC has made projections on the corpus balance of the fund and has sought augmentation of the corpus of CGFMU. In the light of the recommendations of the U.K. Sinha Committee and the announcement by the Hon'ble Finance 		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>Minister on 26th March, 2020 relating to increase in collateral free lending to Self Help Groups (SHGs) from ₹ 10 lakh to ₹ 20 lakh during FY 2020-21 and thereafter, following modifications have been made in CGFMU:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • For PMMY loans and PMJDY Overdraft: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reduction in first loss, to be borne by MLIs, from 5% of crystallized portfolio to 3% of the amount in default. ○ Increase in second loss guarantee cover from 50% of amount in default in the portfolio to 75%. ○ The overall cap on guarantee amount to be retained at 15% of crystallized portfolio. • Loans sanctioned to Self Help Groups (SHGs) between ₹10 lakh to ₹20 lakh during FY 2020-21 and thereafter would also be eligible for coverage under CGFMU. However, first loss guarantee shall be Nil and second loss guarantee shall be 75%. 		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> Guarantee fee for Micro units in Aspirational Districts would be charged at lower fees of 0.5% p.a. (on pro-rata basis for first year) for guarantees availed on the portfolios of FY 2020-21 & FY 2021-22. This shall be reviewed at the end of two years. <p>The above modifications (applicable for loans sanctioned from 01.04.2020 onwards) will result in increased claim outgo from the fund corpus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provision of funds for the corpus of CGFMU would enable it to provide credit guarantee to eligible collateral-free micro-loans under PMMY, overdrafts to PMJDY account-holders and collateral-free loans to SHGs of value between ₹10 lakh and ₹20 lakh. This would encourage banks/ NBFCs/ MFIs to increase access to, and availability of, the aforesaid credit by extending their current activities in underserved and unserved areas. Thus, it is expected that sanction of collateral-free micro-loans under PMMY, overdrafts to PMJDY account-holders and collateral-free loans to SHGs of value between ₹10 lakh and ₹20 lakh would increase over the years. 		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)														
1	2	3	4	5	6														
			<div><ul style="list-style-type: none">Considering the facts that,<ul style="list-style-type: none">NPA position of portfolios of FY 2016-17 to FY 18-19 are yet to be finalized,With amendments made in the CGFMU more MLIs are expected to avail benefit of CGFMU, andThe expected improvement in lending under PMMY due to better credit guarantee cover and other measures taken by RBI and Government,<p>The approved corpus for CGFMU of ₹3000 crore has been released to NCGTC, a wholly owned company of Government of India, in tranches as shown in table below:</p><table><tr><th>Period</th><th>Funds disbursed (in ₹ crore)</th></tr><tr><td>March, 2016</td><td>500</td></tr><tr><td>August, 2016</td><td>1,500</td></tr><tr><td>July, 2017</td><td>500</td></tr><tr><td>July, 2018</td><td>300</td></tr><tr><td>August, 2018</td><td>200</td></tr><tr><td>Total</td><td>3,000</td></tr></table></div>	Period	Funds disbursed (in ₹ crore)	March, 2016	500	August, 2016	1,500	July, 2017	500	July, 2018	300	August, 2018	200	Total	3,000		
Period	Funds disbursed (in ₹ crore)																		
March, 2016	500																		
August, 2016	1,500																		
July, 2017	500																		
July, 2018	300																		
August, 2018	200																		
Total	3,000																		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			In order to augment the corpus of CGFMU to ₹10,000 crore by the year 2024, a proposal along with Expenditure Finance Committee (EFC) Memo was referred to Department of Expenditure (DoE) on 21.01.2021 for convening the EFC Meeting. But, the meeting of EFC could not be held. As the proposal is to be appraised by the EFC and to be cleared by the Cabinet, ₹500 crore (budgetary provision made in FY 2020-21) could not be released toward augmentation of CGFMU corpus in FY 2020-21.		
5	5	The Committee observe that the BE on interest payments (on net basis) has risen by ₹ 1,01,498.16 crore from ₹708203.16 crore BE (2020-21) to ₹8,09,701.32 crore BE (2021-22) i.e an increase of 14.33%. The Committee was informed that this higher provision has been incorporated due to the increased quantum of borrowings and issuance of government securities in the light of the Covid-19 pandemic. The Committee understand that these	The Department takes note of the comments by the Committee. Government of India's commitment towards fiscal responsibility is enshrined in the preamble to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 which inter-alia enjoins the Government, "... to ensure inter-generational equity in fiscal management and long-term macro-economic stability by removing fiscal impediments in the effective conduct of monetary policy and prudential debt management consistent with fiscal sustainability..."	Accepted	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		have been extraordinary times calling for extra-ordinary measures but would like to emphasize on the need for concrete alternate fiscal measures that need to be undertaken at the earliest to rein in interest payments and keep the economy on the path of fiscal stability and avoid rampant crowding out of private investment..			
6	6	“In this Covid-19 struck world economy, the Committee are of the opinion that a deep and clear understanding of the debt and fiscal dynamics is the need of the hour. Multi-scenario analysis factoring In various variables such as fuel prices, interest rates, commodity prices, inflationary expectations, fiscal expansion etc. can be crucial In escaping the bumps and vulnerabilities in these volatile economic times. The markets are very forward looking and it would be in our economy's interest if we are prepared beforehand with the	The Honourable Finance Minister in para 140 of the Budget Speech 2021-22 has indicated that, “We plan to continue with our path of fiscal consolidation, and intend to reach a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first, increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetisation of assets, including Public Sector Enterprises and land.”Further para 145 of the Budget Speech mentions the following, “Towards achieving Central Government fiscal deficit along the broad path that I have already	Yes	---

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>various possibilities that our economy can be exposed to in the coming times. Hence, the Committee would like to emphasize on the need for understanding the debt and fiscal dynamics through the various modelling techniques available so as to efficiently manage the fiscal situation. Department of Economic Affairs should publish a white paper on the fiscal dynamics and explain how much fiscal space has been created. DEA should also highlight how these fiscal resources should be utilized and the Impact on GDP growth.”</p>	<p>indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act.”</p> <p>The GoI’s present fiscal position is clearly brought out in the, “ Medium–Term Fiscal Policy-cum-Fiscal Policy Strategy Statement, laid along with the Budget documents in Parliament.”</p> <p>The external sector vulnerability in India could manifest among others, in terms of potential sudden stops and reversal of capital inflows. However, India's external debt has been managed prudently as over the years, CAD was maintained around the sustainable levels. All the external sector vulnerability indicators, including external debt to GDP, forex reserves to external debt, share of short-term external debt in total external debt, are in the zone of comfort. The adequacy of the stock of foreign exchange reserves is more than satisfactory, measured in terms of a host of adequacy matrices. Thus, India's external sector has the required cushion of safety net for a variety of stress scenarios.</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
7	7	<ul style="list-style-type: none"> Meeting disinvestment targets is pivotal to the Budget and wavering from the estimates may lead to quantum change in the fiscal dynamics. DIPAM should have adequate administrative flexibility during the disinvestment process, Administrative processes for monetization of non-core assets and disinvestments should be fast-tracked. 	<p><u>Strategic Disinvestment:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> All efforts will be made for completion of transactions and achievement of target. Modifying the procedure for strategic disinvestment is an ongoing process, based on experience. The procedure strategic disinvestment was modified in October 2019 with the approval of CCEA to make it expeditious and result-oriented. Further, specific delegation in favour of DIPAM is being taken from time to time for transaction-specific issues. A standardized elaborate security clearance mechanism has also been devised. <p><u>Monetization of Assets:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Cabinet in its meeting held on 28th February, 2019 approved the procedure and mechanism for Asset Monetization 	Accepted	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>CPSEs/Public Sector Undertakings (PSUs)/ other Government Organizations and Immovable Enemy Properties.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIPAM is mandated to facilitate monetization of non-core assets. • The model of monetization is approved by the Alternative Mechanism. • World Bank TA supporting DIPAM in review of international and national models of land monetization agency and mechanism for land monetization. • Proposal on SPV formation as announced in the Budget 2020-21 will be placed before Cabinet for consideration 		
8	8	A permanent disinvestment policy should be in place clearly specifying the benchmarks and adopting best global disinvestment models.	<ul style="list-style-type: none"> • Government recently announced New Public Sector Policy in 2021, which inter alia states that in the Strategic sectors, bare minimum presence of the existing PSEs at Holding Company level will be retained under Government control and the remaining enterprises 	Accepted	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>will be considered for privatisation or merger or subsidiarization with another PSE or for closure. PSEs in non-strategic sectors shall be considered for privatisation, where feasible, otherwise such enterprises shall be considered for closure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The mechanism of operationalizing the new PSE policy has also been defined with respective roles of Niti Aayog, Core group of Secretaries on Disinvestment (CGD) and Alternative Mechanism (AM) of Ministers. • The structuring and timing of transactions will be contingent, inter alia, on the considerations of appropriate sequencing, sectoral trends, administrative feasibility, investor interest etc. • While structuring and executing transactions, the advice of the professional advisers based on global practices is obtained. 		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
9	9	The Committee note the step taken for stressed assets resolution with measures to clean up the bank books and setting up of Asset Reconstruction Company Limited and Asset Management Company to consolidate and take over the existing stressed debt and the management/disposal of the assets to Alternate investment Funds and other potential investors for eventual value realization. The Committee appreciate the move towards saving time and avoiding delays in the process through consolidated decision making made possible with the setting up of ARC-AMC which will be owned by the banks, both in the private sector as well as in the public sector, with the Asset Reconstruction Company aggregating the debt and the Asset Management Company operating the asset with a set of experienced professionals for some time, resolving it and then selling it to an investor or an AIF. The Committee	As proposed by IBA, transfer of Assets is intended to be effected as per extant RBI regulations, which mandate price discovery through open auction or Swiss challenge method.	RBI guidelines on sale of stressed assets mandate price discovery through open auction or Swiss challenge. Further, RBI while commenting on this recommendation has stated inter alia that “transfer of assets at fair value may be a much more prudent and optimal approach as compared to transfer at book value for achieving the	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		hope that the consolidated decision making will deliver the highest impact and to further deepen and widen this impact recommend that the stressed asset be transferred at 'book value', as the longer it is left on the bank's balance sheet, the more the prospect of its value eroding from an economic perspective.		intended objectives." In view of this, Government has not accepted the recommendation.	
10	10	Further, the Committee are of the opinion that RBI can play an Instrumental role in the success of 'Bad Bank' if they issue an order or notification which makes the entire, process crystal clear, defining each step of the procedure and thus removing any ambiguity or discretion from the bank's side. The Committee would like to emphasize that a regulatory intervention at this stage will eventually further streamline and add more pace to achieving the objective of resolution stressed assets. RBI needs to demonstrate why their proposed rules for loss transfer to the ARC-	ARC-AMC structure will be set up under extant regulatory framework. Any regulatory dispensation /forbearance is not anticipated. Comments were sought from RBI on this recommendation. RBI has inter-alia conveyed as under: "The proposed structure announced by the Government is envisaged as a bank-led initiative with some Government support. It may not be desirable for the Reserve Bank to venture into the operational and commercial aspects of such a venture. However, since the proposed entity is expected to be set up as an ARC, being the regulator of ARCs, Reserve Bank has already prescribed a regulatory framework for the functioning of	Recommendation seeks regulatory intervention in ARC-AMC structure, which is the domain of RBI. Any order /notification from RBI is not envisaged. In view of the RBIs stated position in reply to this recommendation, government has not	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		AMC is in fact the best approach. Their rules should reflect both administrative clarity as well as economic logic. This should be done as soon as possible to unlock assets that are currently trapped as NPAs.	ARCs and there are well laid norms for the transfer of stressed assets by banks/NBFCs to ARCs.”	accepted the same.	
11	11	The Committee understand that infrastructure financing need patient capital and is still at a nascent stage and hence the need for a dedicated DFI. The Committee believe that it was prudent to have a sovereign backed institution which will give confidence to investors. Also, having such institution will help in playing the role of a facilitator, be a market maker, widen the investor base and also play an active role in nurturing and deepening the bond market. The Committee are informed that an initial capital of ₹20,000 crore would be infused which could be leveraged to ten times borrowing i.e. a loan book of ₹ 2 lakh crore which in the coming time will be enhanced further. It is further stated that initially it will be owned by the Central Government up to 100 per cent and a provision would be built	<p>The National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 provides for establishment of National Bank for Financing Infrastructure and Development. To begin with, this institution shall be wholly owned by Central Government. In the Union Budget 2021-22, a provision for capital infusion of ₹ 20,000 crore in the proposed institution has been provided. In addition, as per section 21 (2) of the aforesaid Act, the Central Government shall, by the end of the first financial year from the establishment of institution, grant or contribute an amount of ₹ 5,000 crore to the institution in the form of cash or marketable Government securities. A White Paper on the establishment of the new DFI is enclosed (Appendix ; Page No. 80-85).</p> <p>The section 29 of the Act provides for setting up of other DFIs. However, it is not proposed to provide any government funds</p>	Yes	A White Paper on the new DFI has been submitted as per the recommendation.

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		in the Act to bring down this share to 26 per cent, that is, a licensing framework for private DFI is also being provided. The Committee feel that the sum of ₹ 20,000 crore earmarked for DFIs is massive and it is extremely essential that it is implemented successfully as the opportunity cost of this sum is substantial in terms of the support it could have provided to other social and developmental schemes and programs. Further, the Committee desire that a White Paper detailing the implementation plan taking into account the hindrances faced in the past in India as well as the world over and the action plan to overcome them and make it viable may be submitted to the Committee. In particular, it has been stated that the DFI will be professionally managed. The Committee would like to understand how and with what safeguards government funds will be provided to a private, professionally managed DFI.	to a private DFI. The DFIs set up under section 29 of the Act shall have right to access to line of credit from Reserve Bank of India (RBI) and any deposit availed by a bank included in the Second Schedule from the new DFI will not attract Cash Reserve Ratio (CRR) requirement. In addition, requisite provision has been made in the Finance Act, 2021 to provide income tax exemption for a period of five consecutive assessment years, extendable for a further period not exceeding five consecutive years, to a developmental financing institution, licensed by the Reserve Bank of India under the aforesaid Act. As these DFIs would operate within the prudential framework of RBI, applicable to other All India Financial Institutions (NABARD, Exim Bank, SIDBI and NHB), oversight would be by RBI in all respects.		
12	12	The committee strongly opine that sovereign credit rating methodology should be made more transparent,	Department of Economic Affairs has been constantly engaging with the Sovereign Credit Rating Agencies (SCRA) like	Yes	

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>less subjective and better attuned to reflect an economy's fundamentals. Credit rating map the probability of default and thus reflect the willingness and ability of borrower to meet its obligations. India's willingness and ability to pay is well demonstrated through its zero sovereign default history and despite that it has been strangely rated as the lowest rung of the investment grade, which defies economic logic. The committee urge the Ministry of continue on its efforts to emphasis and highlight the under assignment of India's fundamentals in the sovereign credit rating and undertake all measures. So that a robust rating reflecting India's zero sovereign default history is rightly projected and the economy is able to thus gain through the positive inflows of equality and FPI.</p>	<p>Moody's, Fitch and S&P by updating them about various policy measures and initiatives taken by the government for boosting economic growth and fiscal consolidation. The Department has regularly been sharing monthly economic reviews with the rating agencies. Teleconferences and annual sovereign credit rating review meetings at the level of Secretary (DEA) and CEA are being held to apprise them about the growth forecasts and fiscal outlook of the Government of India.</p>		
13	13	<p>The Committee note that while life insurance penetration in the country is at 2.82%, that of general Insurance is less than 1%, the lowest amongst all BRICS counterparts. The Committee recommends</p>	<p>1. Central Government has notified Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021 on 19.05.2021. The rules provide safeguards which Indian insurance companies having foreign</p>	Yes	<p>Indian Insurance Companies (Foreign Investment)</p>

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>highlighting the need and importance of Insurance amongst the masses. With regard to increasing FDI in the sector from 49% to 74%, the Committee understands that this will hopefully enhance Insurance penetration and density and fresh capital inflows will be accompanied with new technologies, innovations, new products, best global practices and customer experience will be enhanced. Further, the Committee suggest that it be ensured that Insurance companies, particularly with foreign ownership adhere to their commitments strictly and proper safeguards and oversight be maintained by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).</p>	<p>investment need to comply with.</p> <p>2. A brief summary of the safeguards provided are as under:</p> <p>i. For Indian Insurance companies having foreign investment, the rules provide for majority of resident Indian citizen in Board of Directors and Key Management Persons. The rules also provide that at least one among the chairman, its managing director and its chief executive officer shall be resident Indian citizen.</p> <p>ii. The following additional safeguards have been provided for an Indian insurance company having foreign investment exceeding forty nine percent</p> <p>a. for a financial year for which dividend is paid on equity shares and for which at any time the solvency margin is less than 1.2 times the control level of solvency, not less than fifty per cent. of the net profit for the financial year shall be retained in general reserve; and</p> <p>b. not less than fifty percent of its</p>		<p>Amendment Rules, 2019 have been amended accordingly and notified on 19.05.2021</p> <p>Consequential changes in FDI policy have also been carried out by The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide Press</p>

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>directors shall be independent directors, unless the chairperson of its Board is an independent director, in which case at least one-third of its Board shall comprise of Independent directors.</p> <p>Further, IRDAI has informed that IRDAI is in process of laying down the monitoring mechanism to ensure compliance of the above.</p>		Note No.2 (2021 Series) on 14.06.2021 Further, FEMA Regulations are in the process of being amended accordingly by Department of Economic Affairs (DEA).

White Paper on establishment of National Bank for Financing Infrastructure and Development

Background

A survey of the landscape of infra financing in the country sharply brought out the need to establish a new financial institution, a “Development Bank” as it were (also referred to as a Development Financial Institution, DFI for short, or an All India Financial Institution, AIFI for short) specifically catering to the needs of greenfield infra financing. This Development Bank is expected to help start a virtuous investment cycle in the post Covid era, by anchoring financial closure and catalyzing private sector investments in infrastructure. It is also important that simultaneous development of the bond market for infra financing happens and DFI supports it.

Development Banks / DFIs across the world have played a seminal role in fostering economic growth, helping address market failures and crystallizing private sector investments. India has itself had a rich history of DFI’s. However, these were essentially focused on supporting industrial development, not infrastructure creation, in part, because most infrastructure till the early 2000s was being built on EPC (Engineering, Procurement and Construction) basis by Government.

DFIs in the 1990s

By the 1990s, sources of cheap funding to DFIs ceased almost overnight. Their appraisal practices belonged to an age which was ending – of a closed economy and licenses/ permits with no credit bureaus or CRILC in sight to help them be better informed. SARFAESI Act (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) had not been enacted, no sectoral laws such as the Electricity Act existed and frameworks for PPP (Public Private Partnership) or Model Concession Agreements were just a gleam in the eye. The economy itself was opening up to international competition. The writing on the wall was clear and the challenge proved too much. In response, ICICI and IDBI became universal banks while IFCI became a NBFC (Non-Banking Financial Company).

Need for a new DFI

The learnings from the journey of past DFIs were useful in crafting the National Bank for Financing Infrastructure and Development. Drawing upon these and adopting appropriate features of successful DFIs elsewhere, it was intended to have a 'fit for purpose' and large scale DFI which can provide patient capital (primarily Debt) to the infrastructure sector, playing a pivotal role in financing the National Infrastructure Pipeline (NIP) and more and in enabling the nation to become a USD 5 trillion economy.

In the Union Budget 2019-20, Government had announced its intention to invest ₹100 lakh crore in infrastructure over the next five years. Against this backdrop, an inter-ministerial Task Force was set up by Government to identify technically feasible and financially/economically viable infrastructure projects which can be included in the NIP. Under the NIP, total projected infrastructure investment of ₹ 111 lakh crore has been envisaged in India over financial years (FY) 2020-2025. To meet this target, adequate long-term financing is needed. As the NIP is an ambitious programme, the financing of the NIP envisages funding from a DFI to the extent of 8-10% of the total requirement.

Challenges in infra financing

Infrastructure financing is long term and non-recourse *i.e.* loan repayment is only from cash flows of the project and not from other assets of the borrower. By its very nature, however, such financing is inherently risky. The long tenure of loans, unanticipated challenges in execution and uncertainty of performance of the asset are key elements which define the risk. Repayment is dependent on the performance of the project and cash flows arising from it, since unlike corporate credit, project loans have no underlying collateral, which can be realized.

Banks in India are generally reluctant to provide credit to infrastructure as evident through banking credit to infrastructure being almost stagnant over the past five years. This is due to a variety of reasons. Firstly, while banks mostly raise short-term deposits, infrastructure financing involves long-term lending, typically 20-30 years. The requirement of long tenor funding has meant that most banks face an Asset

Liability Mismatch (ALM) *i.e.* the average tenure of their deposits, which is short term, cannot support long term lending. Secondly, the risk involved in infrastructure lending has resulted in high credit costs which cannot be compensated by higher interest rates as project viability gets impacted. Banks have learnt this the hard way through experience of previous such lending which resulted in huge Non Performing Assets (NPAs). This has led to a number of Public Sector Banks, almost all private banks and NBFC lenders withdrawing from this line of business. Thirdly, a larger portion of the risk falls on banks as the corporate bond market in India is neither sufficiently deep nor adequately mature to meet India's infrastructure financing requirements.

Approach to a new DFI

The role, regulations, ownership, governance arrangements, product suite, resources, size and a law for the purpose were needed to be determined so as to ensure that past shortcomings were addressed so that the institution plays a meaningful and an impactful role. Therefore, the following approach was adopted for establishment of the new DFI:

Mandate – The vision was to build a long term lending institution driven by systems and processes, making risk assessments and which is accountable/ answerable. The DFI is expected to substantially address market failure in the area of long-term finance for funding infrastructure. As market failure is on various dimensions, the DFI will be a provider, an enabler and a catalyst. It would be a stretching mandate, underpinning ability and willingness to decisively change the funding environment for infrastructure. This will involve taking on risk and the design must factor in the expectation that risks will crystallise. Necessarily, this adoption of risk and potential liabilities will need oversight, guard rails and measures for mitigation and risk sharing. The new institution has both development and financial mandate. The development mandate is specifically in the context of supporting the market for bonds etc. to finance infra, supporting projects over their life cycle and nurturing the overall eco system. Over a medium to long term, this support to the bond market aims at fostering complementarity of market raised debt with direct lending by the DFI for infra projects.

Regulatory framework – Compliance with relevant prudential regulations is important for credibility. Considering the specific characteristics of the institution and the need to optimize capital contribution from the government, the DFI would operate within the prudential framework applicable to other AIFI's (NABARD, Exim Bank, SIDBI and NHB).

Ownership structure – The DFI would be wholly owned by the government to begin with, which would foster confidence on stability and sustainability of the institution, enabling it to raise resources at competitive rates. Dilution/ sale of stake, upto 74%, may be considered, once it has achieved stability and scale in its business operations.

Governance structure and Management – The governance structure is designed to respond to requirements of professionalism, probity and oversight. It will inspire trust and confidence. Decision making has been kept independent, even as the entity is government owned. Keeping in mind the clear objective of transparency, strong investor confidence and solid financial performance, the institution will be run by the Board of Directors with strong representation of Independent Directors for effective control and supervision of affairs. The Board would appoint Key Management Personnel. Compensation would be guided by market practice. To tackle risk aversion, safeguards are provided against inadequately informed prosecution. As the pivot of intra financing, the institution would voluntarily subscribe to higher governance standards as compared to the requirements under existing regulations. Clearly defined and independent roles of Chief Risk Officer, Chief Credit Officer and Chief Technology Officer are envisaged.

Product Portfolio – The product portfolio of this institution is extensive e.g. long-term project finance, subordinate debt, mezzanine funding, credit guarantees, enhancements, refinance, take out, market maker/ backstop buyer for project bonds etc. to facilitate infrastructure financing in all manner. It will have an independent vertical/ subsidiary to facilitate project structuring, financial closure, monitoring and monetization/recycling so that support across the life cycle of projects is delivered.

Resource Raising –The viability of a DFI is critically contingent on access to low cost funds. As such, availability of low cost funds have been ensured for the DFI in the form of support for hedging costs, sovereign guarantee, exemption from income tax, SLR status for bonds issued by it, eligible investment status for Pension, Insurance and Provident Funds etc.

Statutory Framework: Each of the 4 AIFIs in the country has been set up by an Act of Parliament. The DFI is also established through a law which is already enacted. This will impart credibility and legitimacy through explicitly stated Government support, leaving no ground for ambiguity or market speculation. The law also has enabling provisions for setting up of private DFIs.

Size: The new DFI with size and the ambition to make a difference. Initial capital of ₹20,000 crore and authorized capital of ₹1 lakh crore will ensure that it can play a counter cyclical role whenever needed. It will lend long term and work on the expectation that risks will crystallize. Therefore, there will be oversight and guard rails. Size will matter not just for achieving financial closure for big ticket infra projects, commensurate with a US \$5 trillion economy but also provide a cushion to protect from the inevitable materialization of risks and contingent liabilities.

To summarize, the structure and working for this DFI has many firsts. These include:

- Acknowledging that both development and financial objectives will matter for the new DFI
- Specific tasking for developing the bond and derivatives market for infra financing
- Commitment to begin with 100% GoI holding but with at least 26% being owned by Government
- Opening up equity to Sovereign Wealth Funds, bilateral/multilateral institutions, pension funds, insurers
- Professional Board with 50% non-official directors
- Persons of eminence are envisaged on Board as Chairperson and Non Official Directors
- Power to Board to appoint and remove Whole Time Directors

- Remuneration based on market standards, which gives ability to attract best in class talent
- Higher age limit and longer tenure for MD and DMDs
- Wide suite of products suitable for different stages of projects life cycle
- Mandatory performance review once in 5 years
- Concessions and support for low cost funding
- Protection from inadequately informed prosecution and investigation
- A window for setting up of private DFIs
- Focus on technology in appraisal and monitoring

These measures are path breaking and bold, representing a decisive break from conventional thinking arising from the thought processes of the 1980s when the other DFIs such as SIDBI and NHB were set up.

Implementation Plan

- For setting up the new DFI, “National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021” has been passed by both the houses of the Parliament and the same has been enacted on 28.03.2021. Various sections of the Act have been notified.
- The selection of Non-Executive Chairperson of the institution is at an advance stage. The skeletal Board of Directors (BoD) will be constituted comprising of Chairperson (once the appointment is finalised by the Government) and two Government Nominee Directors. This BoD shall then request BBB for recommending names of Whole Time Directors (WTDs).
- Requisite rules and regulations shall be formulated in the meantime.
- Request for Proposal (RFP) has been issued for selection of management consultant for setting up of NaBFID. Management consultant is expected to be onboarded shortly. The consulting firm would help in preparation of manuals, SOPs, identification of technology platform, risk model & develop monitoring systems.
- The DFI is expected to be operational by the end of 2021.